संख्या-229/2026/I/1425089/2026/23-11099(099)/61/2026

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 07-08-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यो के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-23931/CE-HQ1/RY(MDOD)/GKP/2026-27, दिनांक 23-07-2026, पत्र संख्या-23936/CE-HQ1/RY (MDOD)/ADY/2026-27, दिनांक 23-07-2026, पत्र संख्या-23945/CE-HQ1/RY (MDOD)/SAH/2026-27, दिनांक 23-07-2026, पत्र संख्या-23977/CE-HQ1/RY(MDOD)/LKO/2026-27, दिनांक 24-07-2026, पत्र संख्या-24015/CE-HQ1/RY(MDOD)/ADY/2026-27, दिनांक 27-07-2026 एवं पत्र संख्या-24078/CE-HQ1/RY(MDOD)/MRT/2026-27, दिनांक 30-07-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख, अन्य जिला मार्गो के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत 13 चालू कार्यो पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 3284.88 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ चौरासी लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/अनुरक्षण/ अनुरक्षण उपरान्त की लागत/ बचत/ बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	प्रस्तावित आवंटन		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	गोरखपुर नि0ख0-3	जनपद गोरखपुर में कुसमी पिपराईच मार्ग से गढ़वा रिठिया चीनी मिल मार्ग (अ0जि0मा0) के (लम्बाई 4.750 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	935.50 935.50 Nil 935.50 137.28 798.22	85.65	314.46	84.65	399.11
2	गोरखपुर नि0ख0-3	जनपद गोरखपुर में कैम्पियरगंज बाईपास मार्ग (बी0एम0सी0टी0 मार्ग के बसन्तपुर सं0मा0) (अ0जि0मा0) का 02 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	373.27 373.27 Nil 373.27 63.45 309.82	186.62	84.86	22.85	107.71

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	गोरखपुर प्रा0ख0	जनपद गोरखपुर में हाटा ढेबरा-ढ़कवा शिवपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 8.200 तक (लम्बाई 8.200 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य ।	3071.41 3018.48 42.01 2976.47 476.57 2499.90	1514.28	78.79	21.21	100.00
4	कुशीनगर नि0ख0	जनपद कुशीनगर में भटहट पिपराईच मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 3.45 कि0मी0)।	730.53 730.53 Nil 730.53 20.32 710.21	475.68	118.18	31.82	150.00
5	देवरिया नि0ख0	जनपद देवरिया में सोन्हुला रामनगर देसही देवरिया मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 8.710 कि0मी0)कि0मी0)।	3496.43 3496.43 53.63 3442.80 5.19 3437.61	1194.95	354.55	95.45	450.00
6	देवरिया प्रा0ख0	जनपद देवरिया में गौरी बाजार हाटा मार्ग के कि0मी0 36 से कमरमहा मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 5.000 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1190.69 1115.47 25.70 1089.77 Nil 1089.77	357.21	429.31	115.57	544.88
7	अयोध्या नि0ख0-4	जनपद अयोध्या में अमानीगंज मार्ग से एन0एच0-28 (वाया ऐहार गौहन्न मीसा) मार्ग अ0जि0मा0 के चैनेज 0.000 से 14.240 तक (लम्बाई 14.240 कि0मी0) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2486.70 2486.70 Nil 2486.70 0.94 2485.76	1988.89	195.63	52.66	248.29
8	अम्बेडकर नगर प्रा0ख0	जनपद अम्बेडकर नगर में चांदपुर-चन्दैनी-अशरफपुर मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 13.200 कि0मी0)।	2510.29 2510.29 Nil 2510.29 13.00 2497.29	1378.60	78.79	21.21	100.00
9	सहारनपुर नि0ख0-3	जनपद सहारनपुर में ननौता से भारी दीनदारपुर, यहियापुर वाया पूजना व पापड़ी से एस0एन0 जी0टी0 होते हुए गढ़ी अब्दुला मार्ग पर शामली सीमा तक चै0 8.600 - 14.500 (लम्बाई 6.100 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	812.90 812.90 17.73 795.17 178.01 617.16	560.02	45.02	12.12	57.14
10	सीतापुर नि0ख0-4	जनपद सीतापुर में महसुनिया-वजीरनगर-बर्मी मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से चैनेज 0.426 एवं चैनेज 0.511 से चैनेज 12.595 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 12.510 कि0मी0)।	2754.92 2754.92 Nil 2754.92 42.40 2712.52	2100.36	268.60	72.31	340.91
11	अमेठी नि0ख0	जनपद अमेठी में ऊँचागांव से महोना किसनी होते हुए दूधेधारी मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 5.00 से 14.400 (लम्बाई 9.400 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1856.49 1856.49 Nil 1856.49 347.90 1508.59	756.94	393.95	106.05	500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12	बागपत प्रा0ख0	जनपद बागपत में छपरौली किशनपुर बराल, गांगनौली, दोघट, पुसार होते हुए बरनावा मार्ग (अ0जि0मा0) के चै0 0.00 से 11.550 तक (लम्बाई 11.550 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2317.77 2317.77 52.03 2265.74 400.00 1865.74	1773.55	72.64	19.55	92.19
13	गाजियाबाद नि0ख0-2	जनपद गाजियाबाद में बन्थला ढिकौली मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 8 से बेहटा हाजीपुर मार्ग के कि0मी0 9, 10, 11, 12, 13 (500) (लम्बाई 4.500 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1399.73 1399.73 18.11 1381.62 57.02 1324.60	1129.95	153.36	41.29	194.65
		योग:-			**2588.14**	**696.74**	**3284.88**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो की स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जाएगा।

(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1,2,3,4,5,6,7,8,10 व 11 में अंकित कार्यो हेतु धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रश्नगत कार्यो हेतु अगली/अनुवर्ती किश्त की धनराशि की मांग इन कार्यो के मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेशो मे उल्लिखित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17-05-2023 में निहित व्यवस्था सम्बन्धी शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जाय।

(4) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।

(7) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रू0 25,88,14,000 (रूपये पच्चीस करोड़ अट्ठासी लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 6,96,74,000 (रूपये छः करोड़ छियानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in